

**कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा)  
भदोही, (उ०प्र०)**

पत्र संख्या बीडा/तकनीकी-दो / (1929)/ 2025-26 / दिनांक .....

**अल्प कालीन ई-निविदा सूचना (द्वितीय कॉल)**

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) भदोही की ओर से बीडा प्राधिकरण में पंजीकृत अनुभवी अर्ह ठेकेदार/ फर्मों से ऑनलाइन अल्प कालीन ई निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता को सूचित किया जाता है कि कार्य प्राप्त करने के सम्बन्ध में न्यूनतम अर्हता अनिवार्य है।

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                          | अनुमानित लागत G.S.T सहित | धरोहर धनराशि | निविदा पत्र मूल्य तथा G.S.T  | कार्य करने की अवधि |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| क.       | तहसील औराई परिसर में सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं पेयजल की व्यवस्था का अधिष्ठापन । | 1726000.00               | 172600.00    | 3000.00<br>+<br>540.00 G.S.T | 3 माह              |

- ई० टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें बेवसाइट पर प्रदर्शित होने की तिथि 20/12/25 है।
- निविदा सूचना एवं बिड डक्यूमेन्ट आन लाईन दिनांक 20/12/25 से 05/01/26 तक ई० टेण्डरिंग पोर्टल (<http://e.tender.up.nic.in>) उपलब्ध पर है जो आन लाईन (<http://e.tender.up.nic.in>) पर ही सबमिट किया जायेगा।
- निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त बेवसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है जो निःशुल्क है। निविदायें आनलाईन डालने हेतु निविदादाता के पास यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ अथवा किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइन अथारिटी द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
- निविदा को प्रपत्र मूल्य (ई-निविदा) शुल्क एवं EMD (धरोहर धनराशि) लिंक वेबसाइट <http://emd.bidabhadohi.com> के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त से सम्बन्धित स्कैन कॉपी, निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा जिसको विभाग द्वारा सत्यापित किया जायेगा, और विसंगति के मामलों में ई-निविदा को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
- निविदा की धरोहर धनराशि समस्त प्रमाण पत्रों (टी०-4, टी०-5, टी०-6) पंजीकरण प्रमाण पत्र की (Scanned) स्कैण्ड कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता द्वारा निम्नांकित प्रपत्र / अभिलेख की स्कैन कापी अपलोड करना अनिवार्य है।  
क- निविदा प्रपत्र मूल्य से सम्बन्धित प्रपत्र।  
ख- धरोहर धनराशि से सम्बन्धित प्रपत्र  
ग- बिड डक्यूमेन्ट के अनुरूप निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं की सत्यता के सम्बन्ध में शपथ पत्र (टी०-6) मूल में एवं चरित्र प्रमाण पत्र





(टी-4) तथा हैसियत प्रमाण पत्र की (टी-5) की प्रमाणित छाया प्रति जमा करना होगा।

घ- निविदा से सम्बन्धित समस्त वांछित / आवश्यक प्रमाण पत्र / अभिलेख की प्रमाणित प्रति।

9. ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदायें डालने की अन्तिम तिथि दिनांक 05.01.24 समय अपरान्ह 12.00 बजे तक है तथा उसी तिथि को खोलने का समय 1.00 बजे तक रहेगा।
10. निविदादाता के पास विगत पांच वर्षों का सरकारी/अर्द्धसरकारी / स्वयात्तशासी संस्था/स्थानीय निकाय में सिविल निर्माण कार्य का संतोषजनक ढंग पूर्ण करने का अनुभव निम्नानुसार होना चाहिए तथा सम्बन्धित कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है।  
सम्बन्धित तीन कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत (क्र०स० 2 के अनुसार) अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

अथवा

सम्बन्धित दो कार्य, जिनमें प्रत्येक की लागत (क्र०स० 2 के अनुसार) अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

अथवा

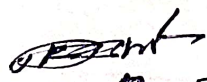
सम्बन्धित एक कार्य की लागत जो अनुमानित लागत (क्र०स० 2 के अनुसार) का 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

निविदा में विद्युतीकरण का कार्य सम्मिलित है उक्त का भी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11. निविदादाता के पास विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर उपरोक्त तालिका में उल्लिखित कार्य के अनुमानित लागत का कम से कम दो गुना होना आवश्यक है तथा उक्त से सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है।
12. बिडर्स का क्रिमिनल रिकार्ड होने पर उसको बिडिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
13. कोई भी बिडर जो स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत हो को निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत न होने के सम्बन्ध में नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
14. निविदादाताओं को समस्त सूचनायें शपथ पत्र के रूप में देनी होगी। बिड की क्षमता के आकलन हेतु आवश्यक सूचनायें संलग्न होनी चाहिए। प्रत्येक बिडर को बिड डालने से पूर्व संतुष्ट होना चाहिए कि उनकी क्षमता उस कार्य को पूर्ण करने की है। बिड क्षमता का आकलन सेक्शन-3 के अनुसार होगा, जो बिडर बिड की क्षमता नहीं रखता है की बिड किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
15. अनुबन्ध की अवधि में प्राइस एसक्लेशन अनुमन्य नहीं होगा।
16. प्रत्येक बिडर को बिड के साथ समस्त सूचनायें निर्धारित प्रपत्र (टी-4 टी-5 टी-6) संलग्न करना अनिवार्य है।
17. शासनादेश संख्या 692/23-07-2024 लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 09 अगस्त, 2024 के अनुसार:-

- 1- न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी.ओ.क्यू) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (Below) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी।
- 2- न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी.ओ.क्यू) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 01 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी।
18. निविदा से सम्बन्धित भविष्य में समस्त सूचनायें वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in), एवं <http://www.bidabhadohi.com> पर उपलब्ध होंगे। अतः निविदादाताओं से अनुरोध है कि निविदा से सम्बन्धित जानकारी हेतु उक्त दोनो वेबसाइट से सूचनायें प्राप्त करते रहें। निविदा से सम्बन्धित कोई भी संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जायेंगी।
19. वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
20. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
21. फाइनेन्सियल बिड खुलने के उपरान्त सर्व न्यून (एल-1) निविदादाता को उनके द्वारा बिड डालते समय अपलोड किए गये समस्त अभिलेख / प्रपत्र की मूल कापी इस कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
22. वित्तीय बिड खोलने के उपरान्त सफल सर्वन्यून निविदादाता को प्राधिकरण के साथ कार्य के सम्बन्ध में अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।
23. उपरोक्त कार्यों हेतु 60 प्रतिशत धनराशि कार्यालय जिलाधिकारी भदोही से अवमुक्त किया गया है अतः उक्त सीमा तक कार्य के सापेक्ष भुगतान किया जायेगा। कार्यालय जिलाधिकारी भदोही से अवशेष धनराशि प्राप्त होने के बाद ही कार्य के सापेक्ष सम्बन्धित ठेकेदार को अन्तिम भुगतान किया जायेगा।
24. मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बिना कारण बताये किसी एक या सभी निविदायें निरस्त करने का अधिकार होगा।



  
18-02-25  
DLER